भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1434
दिनांक 29 जुलाई, 2025 / 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो को सुदृढ़ करना

1434. श्री दिलीप शइकीयाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मादक पदार्थों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कोई डिजिटल पहल की है; और

(ग) यदि हाँ, तो गत पाँच वर्षों के दौरान जब्त किए गए मादक पदाथों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का सुदृढ़ीकरण एक सतत प्रक्रिया है और पूरे देश में इसकी उपस्थिति को निम्न प्रकार से बढ़ाकर इसे मजबूत किया गया है: -

(i) अमृतसर, गुवाहाटी, चेन्नई और अहमदाबाद में 04 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर इनकी संख्या 03 से बढ़ाकर 07 कर दी गई है।

(ii) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल), अगरतला (त्रिपुरा), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) और रायपुर (छत्तीसगढ़) में 05 नए जोनल कार्यालय खोलकर और 12 मौजूदा सब-जोनल कार्यालयों को जोनल कार्यालयों के रूप में उन्नत करके देश भर में जोनल कार्यालयों की संख्या 13 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है।

(iii) इसके अलावा, 10 क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुमोदित और चालू किया गया है।

(iv) हाल की के वर्षों में एनसीबी की स्वीकृत पदों की संख्या में 536 नए पदों का सृजन किया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1434, दिनांक 29/07/2025

(ख) सरकार ने मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न पहल की हैं। इनमें से कुछ पहल इस प्रकार हैं: -

(i) https://narcoordindia.in/ पर उपलब्ध नार्को समन्वय (एनकॉर्ड) पोर्टल, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी चार स्तरों के स्टेकहोल्डरों और समस्त मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) सहित केंद्रीय मंत्रालयों के लिए सभी मादक पदार्थों और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का गेटवे है।

(ii) सभी डीएलईए/अन्य जांच एजेंसियों को अन्वेषण और सक्रिय पुलिस व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के लिए, गिरफ्तार नार्को-अपराधियों से संबंधित राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल विकसित किया गया है। यह स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में शामिल अपराधियों (मादक पदार्थों के) के आंकड़े प्रदान करता है।

(iii) अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) का उद्देश्य सभी पुलिस स्टेशनों को एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत आपस में जोड़ना है ताकि जांच, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान, नीति निर्माण और नागरिक सेवाएं, जैसे कि शिकायतों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग, पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए अनुरोध, आदि प्रदान की जा सकें।

(iv) राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में, विशेष रूप से आतंकवाद निरोध पर ध्यान केंद्रित करते हुए, खुफिया एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सहायता प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) की स्थापना की गई है, ताकि उन्हें कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी एवं समाधान उपलब्ध कराए जा सकें।

(v) सरकार ने 1933-मानस हेल्पलाइन शुरू की है, जिसे नागरिकों द्वारा मादक पदार्थों से संबंधित मामलों को कई संचार माध्यमों से रिपोर्ट करने के उद्देश्य से एक एकीकृत मंच के रूप में डिजाइन किया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1434, दिनांक 29/07/2025

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2022 से संबंधित प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 के दौरान, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा		
	किग्रा.	संख्या	लीटर
2018	3919447.682	12169122	7284781.909
2019	1111646.073	20849422	11735699.605
2020	1316767.239	59255051	1104231.997
2021	1137145.702	48412687	895626.337
2022	2080575.536	17490971	4640749.099

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

******